भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2740

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2025

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

2740. श्री टी. आर. बालू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है हाथ से मैला उठाने की प्रथा "नाममात्र रूप से समाप्त'' हुई है और इसमें कार्यरत लोगों को अब भी "सफाई कर्मचारी/स्वच्छता कर्मचारी'' के रूप में जाना जाता है तथा सीवर की सफाई करते समय उनकी भयावह मौत होने का मुख्य कारण हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का सख्ती के साथ कार्यान्वयन न होना है;

(ख) यदि हां, तो इस कानून को सख्ती से लागू करके उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु उनके पुनर्वास को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के प्रावधान के अनुसार, 6.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना एक प्रतिबंधित गतिविधि है। उपरोक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर नहीं लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाती है और एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा अथवा हाथ से मैला उठाने के कारण किसी की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है।

मौतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013" के साथ-साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने के कारण हुई हैं।

सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को पीपीई किट, आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड और व्यवसाय सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।
- सफाई कर्मचारियों और उनके अधिकतम पांच व्यक्तियों के समूह को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी की व्यवस्था करना।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन करना।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के लिए निम्नलिखित सलाह जारी की है:-

i. सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालना करना।
ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप के लिए सलाह।
iii. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रेडी रेकनर।
iv. स्वास्थ्य जांच और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए यूएलबी के माध्यम से देश भर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन करना।

*****